न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2024-34RAAJodhpur2024-12RTA223 Ruparam Vs State of Rajashan

रूपाराम पुत्र श्री रामचन्द्र जाति माली, निवासी- गांव सोढो की ढाणी, केरू, तहसील व जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

01. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय दिनांक 12 जनवरी 2024 सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर राजस्व मूल वाद संख्या पी/127/2023 रूपाराम बनाम राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर

उपस्थित-

श्री करणसिंह, अधिवक्ता-अपीलाण्ट

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो.

नि र्ण य

दिनांक : 29 अक्टूबर 2024

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या पी/127/2023 अनवान रूपाराम बनाम राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर में पारित निर्णय दिनांक 12 जनवरी 2024 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 07 फरवरी 2024 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 812 में से रकबा 25 बीघा ग्राम केरू तहसील जोधपुर के संबंध धारा 88, 92-ए एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

188 आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट का वादग्रस्त आराजी में पर वक्त सेटलमेंट पूर्व से कब्जा काश्त है। इसलिए वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 812 में से रकबा 25 बीघा की खातेदारी प्रदान की जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12 जनवरी 2024 के जरिये वाद खारिज कर दिया, जिससे व्यथित होकर ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर वक्त सेटलमेंट से ही अपीलांट के पूर्वजों एवं अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलांट खसरा नं. 812 की उक्त 25 बीघा भूमि पर काश्त कर अपना व अपने परिवार का जीवन यापन कर रहा है। वक्त सेटलमेंट संवतः 2012 में अपीलांट के पिता रामचन्द्रजी का कब्जा काश्त था तथा वर्तमान में अपीलांट का कब्जा काश्त है। अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजी पर कब्जे काश्त के संबंध में खसरा नं. 812 के खसरा परिवर्तन निर्धारित संवतः 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2051 से 2068 तक के पेश किये हैं, जिसकी ताईद तहसीलदार जोधपुर की रिपोर्ट से होती है। वादग्रस्त आराजी के चारों ओर कच्चे पत्थरों की दीवार अपीलांट के पिता रामचन्द्र द्वारा बनवाई गई है जो अभी भी मौके पर मौजूद है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 14, 15 व 16 के अनुसार अपीलांट वादग्रस्त भूमि का खातेदार कृषक भी है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य पर गौर किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो अपास्त योग्य है। वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट व उसके पिता गत 50 वर्षो से निरंतर वादग्रस्त जायदाद पर काबित काश्त है, जिसकी जानकारी प्रतिवादी को भलीभांति है। विचारण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में भी विवेचित किया है कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उनके पूर्वजों का वक्त सेटलमेंट से कब्जा काश्त रहा है व वर्तमान में भी कब्जा काश्त है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों खसरा गिरदावरी जो प्रदर्श अंकित है व साक्ष्य शपथ-पत्र में भी वादी का पिछले 50 वर्षो से कब्जा काश्त बताया गया है। तहसीलदार जोधपुर द्वारा भी अपने जवाब में वादी का कब्जा काश्त होना बताया है। अधीनस्थ न्यायालय पर्याप्त सबूतो के बावजूद वादी का वाद केवल जोधपुर विकास प्राधिकरण को पक्षकार संयोजित नहीं किये जाने के आधार पर खारिज कर दिया।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य अपीलाधीन निर्णय को खारिज फरमाया जावे एवं वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

जबाब में विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 812 रकबा 10409.15 बीघा किस्म गैर मुमकिन भाकर है जो वर्तमान में जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है जो नामांतरकरण संख्या 1773,1774 स्वीकृति दिनांक 25.06.2022 के जरिये जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज की जाकर कब्जा जे.डी. ए. जोधपुर को सुपुर्द किया गया। प्रतिकूल कब्जा के आधार पर अपीलांट को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजी के खातेदार एवं आवश्यक पक्षकार को पक्षकार ही नहीं बनाया है। विचारण न्यायालय द्वारा हितबद्ध व्यक्ति को पक्षकार नहीं बनाये जाने के आधार पर वादी का वाद विधिसम्मत रूप से खारिज किया है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जमाबंदी संवतः 2060-2063 ग्राम केरु तहसील जोधपुर के खाता संख्या 1 के मुताबिक वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 812 रकबा 10409.15 बीघा किस्म गैर मुमकिन जोधपुर विकास प्राधिकारण के नाम से दर्ज है। प्रस्तुत दस्तावेजात खसरा परिवर्तनशील के अनुसार संवतः 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2051 से 2068 तक वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट का कब्जा काश्त रहा है। जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर वर्तमान में वादग्रस्त आराजीयात का रेकर्डेड खातेदार दर्ज है। अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में दर्ज वर्तमान खातेदार दावे में पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है। वादग्रस्त आराजी के रेकर्डेड खातेदार बिना सुने उसके विरुद्ध किसी प्रकार का निर्णय पारित किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की मंशा के विपरीत है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत होने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12 जनवरी 2024 यथावत रखा जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर